



दिनांक :- 16 जुलाई, 2010

निश्चय संख्या-07

कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक- 26.05.2010 में "बिन्दु संख्या-07"
के अन्तर्गत अधोलिखित निर्णय लिया

बिन्दु सं0(07):- कार्य परिषद् की गत बैठक दिनांक- 25.11.2009 के बिन्दु सं0-11 के अधीन द्वितीय शनिवार के बदले शिक्षकों को क्षतिपूरक अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त की गई सूचना पर विचार।

निर्णय:- कार्य परिषद् ने अन्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना पर विचार अिर्णय के अनन्तर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष 2011 से द्वितीय शनिवार के बदले क्षतिपूरक अवकाश देय नहीं होगा। वर्ष 2010 के लिए द्वितीय शनिवार के बदले क्षतिपूरक अवकाश विश्वविद्यालयीय एवं महाविद्यालयीय अध्यापकों को देय है।

(आई0पी0 झा)
कुलसचिव

तद् दिनांक

पत्रांक:- कु०स०-समिति/6022/कार्य परि०/10

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा०कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
4. प्राचार्य- समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय- बलिया, मीरजापुर, सन्त, रविदास नगर, सोनभद्र, चन्दौली एवं वाराणसी।
5. स०कुलसचिव, सा०प्रशासन/सम्बद्धता।
6. श्री नरेन्द्र मिश्र, प्रगारी-संगणक केन्द्र को इस आशय से कि परिषद् के उपर्युक्त निर्णय को वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. सम्बन्धित पत्रावली।

17.07.10

कुलसचिव

2v

16/07/10